

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक: 1465 / 14-1 आगरा : दिनांक: जनवरी 23/2022

सेवा में,

डिवीजनल इंजीनियर (टॉस)
भारत संचार निगम लि०
टैक्स भवन, आगरा।

विषयक : जनपद आगरा में आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (एस.एच.-39) के किमी० चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर 15.873 किमी० लम्बाई में भारत संचार निगम लि० आगरा द्वारा प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल के बिछाने में कुल 0.4762 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका प्रस्ताव दिनांक 09.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपका विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर आपके प्रस्ताव में निम्न कमियों पायी गयी।

अतः आप कमियों का निस्तारण कर अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की टोपोसीट संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का जियो रिफ्रेंश मैप संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न नहीं है।

भवदीय

A Kumar

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1465 / 14.1 दिनांकित 23/1/22

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी खेरागढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप बिन्दु सं०-4 के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 0.9524 हे० वनभूमि का चयन कर चयनित स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग प्रयोक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त प्रस्तावित भूमि 0.9524 हे० पर रोपण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण सहित का प्राक्कलन तैयार कर तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

A Kumar

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।